



# कृषि यंत्रों के लिए सब्सिडी हेतु पंजीकरण प्रक्रिया

# कृषि यंत्रों के लिए सब्सिडी

1. सर्वप्रथम इ-मित्र उपयोगकर्ता द्वारा अपना पंजीकृत SSOID एवं Password डालना है।

राजस्थान एकल लॉग इन v6.8  
सभी एप्लीकेशन के लिए एक लॉग इन

English | हिन्दी

लॉग इन पंजीकरण

ssotestkiosk1

.....

4 1 3 5 3 5 कैपचा दर्ज करें

लॉग इन

डिजिटल पहचान (SSOID/ उपयोगकर्ता नाम) नाम भूल गए हैं? [Click Here](#)

पासवर्ड भूल गए हैं? [Click Here](#)

0 profile. \* w.e.f. 01 March, 2017, Designation based SSOIDs should not be used for Login/ Sign-In.

साइट डिजाइन, विकसित एवं मेजबानी सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान द्वारा की गई है।  
हेल्पडेस्क विवरण | वेबसाइट नीतियाँ | पासवर्ड पॉलिसी | FAQ | साइटमैप

1 2 0 2 1

2. सफलता पूर्वक लॉग इन करने के पश्चात उपयोगकर्ता ई-मित्र टैब पर क्लिक करेगा ।

RAJASTHAN SINGLE SIGN ON v6  
GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Pos Apps (Kiosk) Citizen Apps (G2C)


Search Apps Sort By SIMPLE VIEW

Recent Apps


E-MITRA NEW E-MITRA NEW (UAT) CLEAR RECENT APPS

Rajasthan Single Sign On


3. उपयोगकर्ता अब ई-मित्र यूटिलिटी टैब पर पहुंचकर यूटिलिटी टैब पर क्लिक करेगा |



4. यूटिलिटी टैब के अंतर्गत उपयोगकर्ता कृषि यंत्रों के लिए सब्सिडी सर्च कर दिए गए विकल्प का चयन करेगा |




5. सफलता पूर्वक लॉग इन करने के पश्चात उपयोगकर्ता राजकिसान आवेदन डैशबोर्ड पर पहुँच जायेगा |




6. राजकिसान पोर्टल पर पहुँचकर आवेदनकर्ता अपने पंजीकरण हेतु जनाधार या भामाशाह कार्ड का चयन कर कार्ड पर अंकित पंजीकरण नंबर दर्ज करना है | नंबर अंकित करने के पश्चात उपयोगकर्ता को सबमिट बटन पर क्लिक करना है |




6. सम्बंधित कार्ड की जाँच प्रक्रिया सुनिश्चित होने के पश्चात कार्ड से सम्बंधित सभी पारिवारिक लोगों की सूची प्रदर्शित होगी | यहाँ पर उपयोगकर्ता द्वारा किसी एक व्यक्ति का चयन करने पर ओटिपी जनरेट हो जायेगा |



7. इस चरण में पॉपअप के माध्यम से ओटिपी को दर्ज कर पुष्टि करनी है |




8. अब उपयोगकर्ता अपने डैशबोर्ड पर पहुंचेगा यहीं पर स्क्रीन के बायीं और सभी मेनू प्रदर्शित होंगे जैसे की कुल पंजीकरण , प्रोफाइल, फीचर सर्विसेज , सब्सिडी की जानकारी, रिपोर्ट इत्यादि | पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु सर्वप्रथम उपयोगकर्ता का प्रोफाइल पंजीकृत होना आवश्यक है, इसलिए पोर्टल पर प्रदर्शित उपयोगकर्ता की सामान्य जानकारी को जांचकर उपयोगकर्ता को अगला बटन पर क्लिक कर बैंक विवरण की पुष्टि कर अपना प्रोफाइल पंजीकृत करना है |




The screenshot shows the 'Farmer Profile' page with two tabs: 'Personal Details' and 'Bank Detail'. The 'Personal Details' tab is active. It displays a profile picture, a name field with the suffix '/erma', and various personal attributes: Father Name (Verma), Age (34), Gender (Female), and Category (SC). It also shows Aadhaar No. (XXXX-XXXX-XXXX-9307) and Jan-Aadhaar (XXXX-XXXX-XXXX-8642). The address section includes a location pin, a text field for the address (Rajasthan 323307), and fields for Village (Gram Panchayat), District, State (Rajasthan), Block (Rawatbhata), and Pin Code (323307). A 'SAVE & NEXT' button is located at the bottom right.

9. बैंक विवरण पुष्टि करने के पश्चात उपयोगकर्ता का प्रोफाइल पोर्टल पर पंजीकृत हो जायेगा |




The screenshot shows the 'Farmer Profile' page with the 'Bank Detail' tab active. It displays the following information: Bank Name (STATE BANK OF INDIA), Account No. (61231818951), IFSC Code (SBIN0031174), and Branch (BARMER PANCHAT ROAD). Below this, there is a confirmation message: 'I provide my unconditional consent to Department of Agriculture, CoP for transferring the Farm Pond Subsidy in my Jan-Aadhaar / Bhamashah linked bank account number as mentioned above. Note - If you want to change your bank account details, please update the bank account details in Jan-Aadhaar / Bhamashah profile.' A 'CONFIRM' button is located below the message. The page footer includes 'Department of Agriculture © 2020'.

10. उपयोगकर्ता अब प्रोफाइल सेक्शन में जा कर अन्य जानकारियाँ भरकर पुष्टि करेगा | अगले चरण में सब्सिडी से सम्बंधित नियमवाली को पढ़कर उपयोगकर्ता पुष्टि कर अगला बटन पर क्लिक करेगा |




11. यहाँ पर आवेदनकर्ता अपने से सम्बंधित सभी सामान्य सूचनाएं देख सकता है जैसे की स्वयं का नाम , पिता का नाम, जाति, पता इत्यादि | यहाँ पर आवेदनकर्ता को अन्य जानकारियां भी दर्ज करनी है जैसे -

1. क्या आपकी भूमि समान पते पर है
2. अपनी वर्तमान भूमि का स्थान चुने
3. क्या आपने पहले कभी 3 वर्षों में कृषि यंत्रों के लिए अनुदान का लाभ उठाया है
4. कृषि यन्त्र का प्रकार
4. किसान की श्रेणी
5. आवश्यक दस्तावेज जैसे की कृषि भूमि का स्वामित्व, जमाबंदी, आदि अपलोड कर, दी गयी जानकारी सत्य है की पुष्टि कर सबमिट बटन पर क्लिक करना है |



12. सबमिट करने के पश्चात अंतिम बार दी गयी सूचनाओं की पुष्टि उपयोगकर्ता द्वारा दर्ज की जाएगी | सभी जानकारियाँ सुनिश्चित करने के पश्चात उपयोगकर्ता पुष्टि बटन पर क्लिक कर अपना पंजीकरण दर्ज करेगा |



13. पंजीकरण पूर्ण होने के पश्चात पंजीकरण की रसीद प्राप्त होगी जिस पर **पंजीकरण क्रमांक, लेनदेन क्रमांक, लेनदेन की राशी एवं तिथि प्रदर्शित** होगी ।

